RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
Corporate Identity Number (CIN) – U40102RJ200
Office of the Chief Engineer
RAMGARH GAS THERMAL POWER STATION, RAMGARH- Distt.- JAISALMER
Postal Add. : Opp. Main Post Office, Hanuman Chauraha, Jaisalmer
Phone: 9413385481, 9413349029, E-mail: seprocrgtpp@gmail.com

CORRIGENDUM- I (TN-629)

Sub:- corrigendum in Bid Documents
Ref.:- NIT published at website eproc.rajasthan.gov.in

TN No.	Description of works / supply cases	UBN No.
TN-629	Biannual contract of hiring of 11 nos. vehicles	RVU2021SLOB00172

Due to technical error arising in the conversion of Hindi Fonts in PDF form, the section- C of tender document published in above open tender enquiry is now replaced as annexure- I of this corrigendum.

20/05/2020.

Chief Engineer
RGTPP, RVUNL, Ramgarh

73

Part-A (Technical Specification)

Annexure-I

Subject: - Biennial contract for providing of 11 Nos. Vehicles on hiring basis along with driver (03 Nos. Marut Swift Dzire Vdl (AC) or equivalent, 07 Nos. Mahindra Bolero SLX (AC), 01 No. Mahindra Bolero Camper (Non AC) or equivalent (model not older than 2018) at RGTPP, Ramgarh.

कार्य क्षेत्र का विवरणः–
इस निविदा की सीमा में निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. निविदाकर्ता द्वारा :–
क. वाहन सन् 2018 या इसके बाद के मोडल की तथा अच्छी अवस्था की उपलब्ध करवाना।
ख. वाहन में ईंधन ल्युबरिकेन्ट्स एवं सभी प्रकार के कन्जयुमेबल्स उपलब्ध कराना।
ग. टूट– फूट, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, मजदूरी का भुगतान वहन करना।
घ. वाहन के अन्दर उसके औजार, स्टेपनी, वगैरह उपलब्ध करवाना।
ड. वाहन महिन्द्रा बोलेरो के सारे कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, रोड़ परमिट, फिटनेस,इन्श्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाना।
च. अगर वाहन निविदाकर्ता के स्वंय अथवा फर्म के नाम से न हो तो निविदाकर्ता के पक्ष में आम मुख्तयारनामा प्रस्तुत करना।

Part-B (Scope of work)

भाग– स

1. अनुबंधित वाहन एवं चालक रा.रा.वि.उ.नि. के कार्यादेश प्रदायी अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करान एवं चलाना।
2. अनुबंधित वाहन अपनी निर्धारित सेवाओं के पश्चात् 24 घंटे रामगढ़ गैस पावर प्लांट रामगढ़ में प्रदायी अधिकारी द्वारा निर्देशित/निर्धारित स्थान पर उपलब्ध रहेगा एवं कार्यादेश प्रदायी अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन रामगढ़ प्लांट के अन्दर, कॉलोनी, जैसलमेर तथा राजस्थान राज्य में संबंधित जगह, जहां कही ले जाना हो, उस ले जाना होगा जिसका अलग से अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।
3. वाहन के अन्दर यात्री एवं सामान वगैरह संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार ही ले जाना होगा। कोई भी यात्री जो कि रा.रा.वि.उ.नि. रामगढ़ गैस प्लांट का कर्मचारी नहीं हो, बिना अनुमति के गाडी में नहीं बैठाया जाएगा उक्त अवस्था में प्रदायी अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
4. अनुबंधित वाहन को हर समय पूर्ण रूप से अच्छी एवं चालू अवस्था में रखना होगा। वाहन में तेल, पानी ल्यूब्रिकेन्टस, वायु दबाव आदि पूर्ण–रूपेण होने चाहिए। किसी भी अवस्था में अगर गाड़ी चालू अवस्था में नहीं पाई जाती हैं तो इसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा। रा.रा.वि.उ.नि. को दूसरी गाड़ी अच्छी अवस्था में चार घण्टे के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा चार घंटे के बाद किराये की दूसरी गाड़ी कर ली जाएगी। जिसका भूगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। अन्यथा उससे वसूला जायेगा। तथा 160 रूपयें प्रति घंटे के हिसाब से कटौती की जाएगी।
5. किसी दुर्घटना के लिए वाहन चालक/ ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का खर्च या क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
6. वाहन चालक का चाल –चलन उच्च्य दर्जे का होना चाहिए। किसी प्रकार की बदचलनी या दुर्घटना या दुर्व्यवहार की शिकायत पर वाहन चालक को तुरन्त बदलना होगा। अथवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
7. वाहन चालक शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा। ऐसा करने पर वाहन चालक को बदलना होगा। अन्यथा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
8. वाहन चालक को वाहन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं उसके पास वाहन चलाने का उपयुक्त तथा वैध लाईसेन्स होना चाहिए।
9. अनुबंधित वाहन के चालक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। वाहन चालक पूर्ण – रूपेण स्वस्थ होना चाहिए।

(114)

10. निविदा प्रपत्र के साथ वाहन एवं वाहन चालक की निम्नलिखित दस्तावेज की छाया–प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा निविदा अधूरी मानते हूए अमान्य की जा सकती हैं।

(अ) वाहनों के लिए:–

1. वाहन खरीद कागजात अथवा निविदादाता के पक्ष में आम मुख्तयारनामा।
2. वाहन रजिस्ट्रेशन कागजात।
3. वाहन बीमा कागजात अगर हो तो । (कम्परिहेन्सिव)
4. तीसरा पक्ष का बीमा।
5. फिटनेस प्रमाण पत्र।
6. राजस्थान राज्य का परमिट।

(ब) वाहन चालक के लिए:–

1. ड्राइविंग लाईसेन्स।
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. अनुभव प्रमाण पत्र।

11. वाहन चालक विकलांग/पागल/मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना चाहिए।
12. इस अनुबंध को यदि आवश्यक हो इन्हीं दरों व शर्तों पर बढ़ाया जा सकता हैं । तथा इस दरम्यान अगले अनुबंध की कम रेट आने पर बढ़े हूए कार्यकाल का भुगतान भी कम दरों पर होगा।
13. इस अनुबंध को निम्न में से एक या अधिक परिस्थितियों में विभाग द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता हैं।
    क. विभागीय वाहन उपलब्ध न होने पर।
    ख. आपसी सहमति से।
    ग. ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवा नहीं प्रदान किये जाने पर 7 दिन के नोटिस द्वारा इस स्थिति में विभाग द्वारा ठेकेदार की **Risk & Cost** पर दुसरे ठेकेदार द्वारा कार्य पुरा कराया जायेगा।
14. वाहन को एक महिने में न्यूनतम या अधिकतम चलाने की बाध्यता नहीं रहेगी।
15. वाहन में व्यय होने वाले ईंधन का भुगतान 12 किमी. प्रति लीटर (एसी वाहन) तथा 13 किमी. प्रति लीटर (नॉन एसी) के हिसाब से प्रति माह की एक तारीख को डीजल की बाजार भाव से दिया जाएगा। वाहन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का भुगतान एक हजार किमी. प्रति लीटर की दर (300 रू/ लीटर) से किया जायेगा। डीजल की प्रचलित दरों के लिए फर्म को प्रत्येक माह की प्रथम तारीख का पेट्रोलपंप का बिल (हस्ताक्षरित) प्रस्तुत करना होगा।
16. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन के साथ प्रत्येक 8 घंटे पश्चात दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था करनी होगी तथा इसी अनुसार ड्राइवर की गणना की जावेगी। जिनका **CPF & ESI** ठेकेदार को जमा करवाना होगा।

कटौती :–

1. अनुबंधित वाहन मय वाहन चालक के अनुपस्थित रहने अथवा वाहन के खराब होने एवं चालू न होने की स्थिति में ठेकेदार को कोई अन्य व्यवस्था चार घंटे में करनी होगी। अन्यथा चार घंटे बाद किराये की दूसरी गाड़ी कर ली जाएगी जिसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। तथा 160 रू प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त कटौती की जाएगी।
2. महीनें में एक बार वाहन को सर्विसिंग/मेन्टीनेंस कार्य हेतु आवेदन करने पर अधिकतम 24 घंटे की अवधि के लिये ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी जो कि उस दिन विभागीय अवकाश होना चाहिए। अन्यथा किसी विशेष परिस्थिति में अनुमति दी जायेगी । इस दौरान ठेकेदार / वाहन चालक द्वारा जितने किमी. का उपयोग किया जावेगा उसकी रिडिंग के हिसाब से किमी की कटौती की जावेगी।

6/4/2020

Executive Engineer (P&S)
RGTPP, RVUNL, Ramgarh

Assistant Engineer (P&S)
RGTPP, RVUNL, Ramgarh